संख्या-797/2026/1784/22-2-2025-17(1057)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री कन्हैया, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री कन्हैया, जो बिहारीपुर, थाना-कोतवाली, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.04.2011 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर साढे सात वर्षीय अमन अग्रवाल का अपहरण करके हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-443/2011, भा0द0वि0 की धारा-201, 467/120बी, 468/120बी, 471/120बी, 420/120बी के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03, रामपुर के आदेश दिनांक 13.02.2018 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.08.2022 तक अपरिहार 07 वर्ष, 07 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 08 वर्ष, 11 माह 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने ,जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा पुलिस अधीक्षक, बरेली की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री कन्हैया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 18.08.2022 तक बन्दी की 27 वर्ष की आयु एवं कारित अपराध की प्रकृति (साढे सात वर्षीय अमन अग्रवाल का अपहरण) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय (बन्दी संख्या-63/2018) पुत्र श्री कन्हैया, निवासी जनपद-बरेली की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-797/2026/1784(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।